



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166005

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 36268 वर्ष 2025

घनश्याम गोरखपुरी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राजीव कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : विनय कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य समझौता हो गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके- अपने अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2026 को समझौते का सत्यापन किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, (2019) 5 एससीसी 688 में समझौते/ निस्तारण के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के उपर्युक्त उल्लिखित अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित एवं माना जाता है कि:

i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है, जिनका स्वरूप अत्यधिक एवं मुख्यतः दीवानी है, विशेष रूप से वे मामले जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध, जिनमें मानसिक विकृति शामिल हो, अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध सम्मिलित हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और पीड़ित तथा अपराधी के मध्य हुए समझौते के मात्र आधार पर ऐसे अपराधों की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) धारा 307 आई.पी.सी. तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः धारा 307 आई.पी.सी. और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराधों की आपराधिक कार्यवाही, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लिया है। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अपना निर्णय नहीं देगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 आई.पी.सी. का उल्लेख किया गया है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि धारा 307 आई.पी.सी. का समावेश केवल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



औपचारिकता के लिए किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो सिद्ध होने पर धारा 307 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने की ओर ले जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय लगी हुई चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद केवल जांच के पश्चात साक्ष्य एकत्र किए जाने और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही की जा सकती है। जब मामला अभी जांचाधीन हो, तब ऐसी कवायद की अनुमति नहीं है। अतः नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें उपर्युक्त परिस्थितियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए;

v) गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय, जो अपराध निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न हो, और पीड़ित तथा अपराधी के मध्य समझौते/निस्तारण के आधार पर कार्यवाही निरस्त करने की मांग की गई हो, उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था की, आदि पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और मुकदमा संख्या 593 सन् 2013 (प्रदेश बनाम मनोज मद्धेशिया एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 1135 सन् 2010, धारा 419, 420, 467, 468, 504, 506 एवं 571 आई.पी.सी., थाना-गुलरिहा, जिला गोरखपुर से उत्पन्न है तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एफ.टी.सी./ए.सी.जे.एम. के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

07 अगस्त, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)